न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 621ए/2018

प्रार्थी

1. श्री कुन्दनसिंह पुत्र श्री जोरसिंह जाति राजपूत, उम्र 75 वर्ष निवासी मण्डलीखुर्द तहसील पाली जिला पाली।

बनाम अप्रार्थीगणः–

1. श्री डूंगरसिंह पुत्र श्री भोपालसिंह उम्र 66 वर्ष जाति राजपुत निवासी मण्डलीखुर्द पाली जिला पाली।

वकीलः–

1. श्री हिम्मत सिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी, अनुपस्थित।
2. श्री दौलत मकवाना, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी, उपस्थित।

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:आदेशः– दिनांक 26.8.2019

1. प्रार्थीगण ने निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनकी कृषि भूमि ग्राम मण्डली खुर्द के खसरा नंबर 49, रकबा 3 बीघा, किस्म– सेवज सोयम, खसरा नम्बर 52/1, रकबा 2.14, खसरा नम्बर 52/2 , रकबा 0.04, खसरा नम्बर 52/3 रकबा 2.13 भूमि है। प्रार्थीगण के खसरा नंबर 49, रकबा 3 बीघा, किस्म– सेवज सोयम, खसरा नम्बर 52/1, रकबा 2.14, खसरा नम्बर 52/2 , रकबा 0.04, खसरा नम्बर 52/3 रकबा 2.13 भूमि में से आम रास्ते पर राजस्व रेकर्ड में रास्ता नहीं होने से उक्त भूमि पर आने जाने हेतु ग्राम मण्डली खुर्द के खसरा नंबर 54/1 व 53/2 रकबा क्रमश 1.11 बिस्वा किस्म गैर मुमकीन खालीया खसरा नम्बर 53/ रकबा 9 बीघा 7 बिस्वा किस्म चाही दोयम में से फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शे में वर्णित अनुसार प्रार्थी अपनी कृषिभूमि मे आने जाने, काश्त करने, कृषि उद्धेश्यों की प्राप्ति हेतु कृषि यंत्र व सामग्री लाने ले जाने हेतु रास्ता चाहा गया है।

2. प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र में आवेदित भूमि की जांच जरिये पत्रांक/कोर्ट/2018/1506 दिनांक 31–12–18 तहसीलदार, पाली से चाही गई। तहसीलदार, पाली ने जरिये पत्रांक/राजस्व/2019/2013 दिनांक 05–03–19 के द्वारा अपना जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया। तहसीलदार, पाली ने जांच रिपोर्ट में दर्शित किया है कि ग्राम मण्डली खुर्द मे प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 49,52/1,52/2,53/3 मे रेकर्ड अनुसार प्रार्थी कुन्दनसिंह का कोई हक–नाम दर्ज नहीं है। उक्त खसरा नम्बर की भुमि मौके पर पड़त है। तथा प्रस्तावित रास्ते के खसरा नम्बर 54/1,53/2 की भूमि के खातेदारान द्वारा तारबन्दी से कब्जा करके कब्जे मे है नजरी नक्शे मे दर्शित A से B भूमि पर मौके पर रास्ता है। मौके पर उपस्थित प्रार्थी कुन्दनसिंह के बताए अनुसार उक्त खसरा नम्बर भूमि मे खसरा नम्बर 54/1, 53/2 की भूमि मे से होकर ही आना जाना होता है। खसरा नम्बर 49,52/1,52/2,53/3 की भुमि मे जाने बाबत मौके पर अन्य कोई उपयोग नहीं होने से इन खसरो की भुमि पड़त है। प्रार्थी को प्रस्तावित भुमि का रास्ता कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण दिया जाना आवश्यक है। खसरा नम्बर 49,52/1,52/2,53/3 की भूमि मौके पर पड़त होकर अन्य कोई अकृषि उपयोग

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

मे नहीं आ रही है। इसी के संलग्न मौका फर्द मे बताया कि ग्राम मण्डली खुर्द के खसरा नम्बर 52/1,52/2,53/2,54/1 के मौके पर प्रार्थी श्री कुन्दनसिंह पुत्र श्री जोरसिंह राजपूत के साथ मौके पर पहुचा। मौके पर उपस्थित प्रार्थी कुन्दनसिंह द्वारा खसरा नम्बर 53/2 व 54/1 मे खसरा नम्बर 52/2 गै.मु. बेरा तक 15 फीट चौड़ाई को मार्ग चाहा गया। मौके पर प्रस्तावित रास्ता भूमि कृषि उपयोग मे ली जाकर वर्तमान मे पड़त है। मौके पर कोई पक्का निर्माण एवं कोई किमती पेड़ या अन्य वस्तु नहीं है। खसरा नम्बर 54/1 व 53/2 का खातेदार द्वारा तारबन्दी करके कब्जा किया हुआ होकर प्रस्तावित रास्ते की बिन्दु B से C भूमि कब्जे मे होकर कृषि उपयोग मे आती है। बिन्दु AB भूमि पर मौके पर रास्ता खुला है।

3. अप्रार्थी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने बिल्कुल गलत एवं झूठे तथ्य कथन दर्ज कर राजस्व रेकर्ड एवं ट्रेस नक्शा के विपरित ग्राम मण्डलीखुर्द के बेरा निम्बोडा के खसरा नम्बर 49,52/1,52/2 एवं 52/3 की जोत मे आवागमन हेतू नया मार्ग उतरदाता अप्रार्थी की खोतेदारी भूमि खसरा नम्बर 53/1 एवं 54/1 मे से प्राप्त करने हेतू आवेदन किया है। धारा 251 ए आर.टी.एक्ट. के प्रावधानो अनुसार "कोई अधिकारी (Tenant) या अभिधारीयों का कोई समूह (Group of Tenants) अपनी जोत या यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहुचने के लिए अन्य खातेदार की जोत मे से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहते है या किसी अन्य विधमान मार्ग को विस्तारित करना चाहते है तो ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उप खण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे।" विधि के उक्त प्रावधानों के अनुसार आवेदनकर्ता का सर्वप्रथम "अभिधारी" यानि Tenant होना आवश्यक शर्त है। जबकी आवेदन पत्र मे वर्णित ग्राम मण्डलीखुर्द के खसरा नम्बर 49,52/1,52/2 एवं 52/3 की जोत की जिस तथाकथित जोत मे जाने हेतू प्रार्थी नया मार्ग की मांग कर रहा है वह जोत यानि (Holding) प्रार्थी कुन्दनसिंह की खातेदारी की है ही नहीं। अतः विधि अनुसार उसे हस्तगत आवेदन करने का विधिक हक अधिकार प्रार्थी को प्राप्त नहीं है। केवलमात्र इस कारण एवं आधार पर प्रार्थी का आवेदन पत्र पोषणीय नहीं होने से सव्यय खारिज फरमावे। यहा यह उल्लेखनीय है कि ग्राम मण्डलीखुर्द के खसरा नम्बर 49 की जोत की जमाबन्दीया संलग्न प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम मण्डलीखुर्द के खसरा नम्बर 49 के खातेदार निम्नलिखित है– मिनाक्षी पटवा पत्नी मनीष जी जाति जैन निवासी फ्लेट नम्बर 103 मंगलदीप गली नम्बर 5 श्याम नगर जोधपुर हिस्सा 1/2, प्रभूराम, भंवरलाल, भीमाराम, गणेशराम पिसरान चमनीया, जाति–कीर, निवासी– मानपुरा कीरो की ढाणी, तहसील पाली हाल निवासी देवली, तहसील शिवगंज जिला सिरोही हिस्सा 1/2 इसी प्रकार ग्राम मण्डलीखुर्द के खसरा नम्बर 52/1,52/2 एवं 52/3 की जोत की जमाबन्दी संलग्न प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम मण्डलीखुर्द के खसरा नम्बर 52/1, 52/2, 53/3 के खातेदार निम्नलिखित है– गेजन्द्रसिंह पुत्र तख्तसिंह, सुप्यारकंवर बेवा तख्तसिंह, जाति राजपूत, निवासी मण्डलीखुर्द तहसील एवं जिला पाली। इस प्रकार प्रकट है कि प्रार्थी ने बिल्कुल गलत एवं झूठे तयि कथन दर्ज कर अन्य "अभिधारी" यानि Tenant की जोत के खसरा नम्बरान अपने आवेदन पत्र मे दर्ज कर उक्त जोत को गलत एवं विधि विरूद्ध रूप से अपनी जोत होना कथन कर श्रीमान के समक्ष बिलकुल झूठा आवेदन पत्र पेश किया है जो प्रथम दृष्टया प्रकट करता है कि प्रार्थी ने मात्र अप्रार्थी को तंग परेशान एवं खर्चे से जैरबार करने की नियत से आवेदन किया है जो मय हर्जे सहीत प्रथम दृष्टया खारिज करने योग्य है। प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र के साथ तथाकथित एक इकरारनाम दिनांक 11.10.1972 प्रस्तुत किया जिसके अनुसार ग्राम मण्डलीखुर्द के खसरा नम्बर 49 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि मे से इकरारनामा मे वर्णित पडौसियों बीच की 0.04 बिस्वा भूमि के पिता जोरसिंह द्वारा किसी उदा वल्द जेठा कीर, निवासी कीरो की ढाणी पाली

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

से खरीद करना बताया या जबकि उक्त खसरा नम्बर 49 की भूमि उक्त उदा वल्द जेठा कीर की खातेदारी की थी। इस बाबत लेसमात्र कोई दस्तावेजी साक्ष्य राजस्व रेकर्ड प्रस्तुत नहीं किया जबकी इस जवाब के साथ प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 अनुसार ग्राम मण्डलीखुर्द के खसरा नम्बर 49 के खातेदार सर्व श्रीमति मिनाक्षी पटवा पत्नी मनीष जी पटवा जाति जैन निवासी फलेट नम्बर 103, मंगलदीप गली नम्बर 5 श्याम नगर जोधपुर हिस्सा1/2 प्रभूराम भंवरलाल, भीमाराम, गणेशराम पिसरान चमनीया, जाति कीर निवासी मानपुरा कीरो की ढाणी तहसील पाली हाल निवासी देवली, तहसील शिवगंज जिला सिरोही हिस्सा 1/2 है। इस प्रकार प्रकट है कि प्रार्थी ने फर्जी एवं कूटरचित इकरारनामा के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो प्रथम दृष्टया निरस्त करने योग्य है। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही सरसरी एवं समरी कार्यवाही है। उक्त प्रावधानों के तहत किसी पक्षकार के खातेदारी अधिकार तय नहीं किये जा सकते है। इस हेतू प्रार्थी को पहले सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करने पडेगी। इस कारण भी प्रार्थी का आवेदन सव्यस निरस्त करने योग्य है। खसरा नम्बर 49 को छोडकर आवेदन पत्र में वर्णित शेष खसरा नम्बर 52/1,52/2 एवं 52/3 की जोत यानि (Holding) का "अभिधारी" यानि Tenant प्रार्थी है इस बाबत प्रार्थी ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य या राजस्व रेकर्ड प्रस्तुत नहीं किया है जबकी जवाब के संलग्न नम्बर 52/1,52/2 एवं 52/3 की जोत यानि (Holding) का "अभिधारी" यानि Tenant गजेन्द्रसिंह पुत्र तख्तसिंह,सुप्यारकंवर बेवा तख्तसिंह जाति राजपूत निवासी मण्डलीखुर्द तहसील एवं जिला पाली है अतः प्रार्थी का आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया निरस्त करने योग्य हैं इकरारनामा में वर्णितानुसार प्रार्थी के पिता द्वारा जिन पडौसीयों बीच की तथाकथित 0.04 बिस्वा भूमि खरीद की वह मात्र बेरा खोदने हेतू खरीद करना बताया गया है तथा उक्त तथाकथित रकबा 0.04 बिस्वा भूमि के दक्षिण मे खसरा नम्बर 51 की भूमि होना बताया है जबकी प्रार्थी ने हस्तगत आवेदन पत्र मे अप्रार्थी एवं उक्त खसरा नम्बर 49 के बीच स्थित खसरा नम्बर 51 की जोत के अभिधारी या अभिधारीयों को हस्तगत आवेदन पत्र के पक्षकार ही नहीं बनाया। इस प्रकार प्रकट है कि प्रार्थी को प्रस्तावित मार्ग की आत्यतिंक आवश्यकता प्रकट नहीं है बल्कि प्रार्थी ने बिना किसी जोत के उसकी तथाकथित सुविधाजनक उपभोग के लिये आवेदन किया हैं। इस कारण विधि अनुसार प्रार्थी का आवेदन पत्र पोषणीय नहीं है। प्रार्थी की जोत यानि (Holding) ग्राम मण्डलीखुर्द मे कहा स्थित है? इस बाबत भी प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र मे कोई तथ्य कथन या विवरण दर्ज नहीं किया है और न ही कोई राजस्व रेकर्ड प्रस्तुत किया है। इस कारण भी प्रार्थी का आवेदन पत्र पोषणीय नहीं है।

4. वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि वर्णित ग्राम मण्डलीखुर्द के खसरा नम्बर 49,52/1,52/2 एवं 52/3 की जोत की जिस तथाकथित जोत मे जाने हेतू प्रार्थी नया मार्ग की मांग कर रहा है वह जोत यानि (Holding) प्रार्थी कुन्दनसिंह की खातेदारी की नहीं है। प्रार्थी द्वारा बैचाणनाम के अनुसार यह प्रार्थना पत्र से रास्ता मांगा गया हैं। बेचाननामे मे उदा का नाम है पर उदा का नाम जमांबदी मे नहीं है। अन्तर्गत धारा 251ए के अनुसार सिर्फ "अभिधारी" यानि Tenant रास्ते का प्रार्थना पत्र ला सकता है। खातेदार नहीं है इसलिये रास्ता नहीं मांग सकते है।

5. पत्रावली का अवलोकन किया और बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर गहनता से अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम मण्डलीखुर्द के खसरा नम्बर 49,52/1,52/2 एवं 52/3 की जोत की जिस तथाकथित जोत मे जाने हेतू प्रार्थी नया मार्ग की मांग कर रहा है वह जोत यानि (Holding) प्रार्थी कुन्दनसिंह की

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

खातेदारी की ही नहीं है। प्रार्थी द्वारा बैचाणनामा के अनुसार यह प्रार्थना पत्र से रास्ता चाहा गया हैं। बेचाननामे मे उदा का नाम है पर उदा का नाम जमांबदी मे नहीं है। अन्तर्गत धारा 251ए के अनुसार सिर्फ "अभिधारी" यानि Tenant ही रास्ते का प्रार्थना पत्र ला सकता है। प्रार्थी खातेदार नहीं है इसलिये रास्ते की मांग नहीं कर सकते है फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

यह आदेश आज दिनांक 26.8.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner